सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी
SARDAR VALLABHBHAI PATEL NATIONAL POLICE ACADEMY
(भारत सरकार : गृह मंत्रालय) (**Government of India : Ministry of Home Affairs**)
हैदराबाद रू Hyderabad– 500 052.

Inter Office Note

Sub : Notified Recruitment Rules for the post of Assistant Director (Law).

A copy of notified Recruitment Rules for the post of Assistant Director (Law) is enclosed herewith for uploading the same in Academy website under "Recruitment Rules" column

Signature valid
Digitally signed by K MADHUKAR SHETTY
Date: 2018.11.30 09:21:49 IST
Reason: Approved

(Dr. K. Madhukar Shetty)
Deputy Director (Estt)

Assistant Director (IT)

No. 33011/2/2010/Estt/RRs/A-5/AD (Law) Dated: 30.11.2018

रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 44] नई दिल्ली, अक्तूबर 28—नवम्बर 3, 2018, शनिवार/कार्तिक 6—कार्तिक 12, 1940
No. 44] NEW DELHI, OCTOBER 28—NOVEMBER 3, 2018, SATURDAY/ KARTIKA 6— KARTIKA 12, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 2018

सा.का.नि. 354.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी सहायक निदेषक (विधि) भर्ती नियम, 1973 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में सहायक निदेषक (विधि) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :**

   (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम – सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, सहायक निदेषक (विधि) भर्ती नियम, 2018 है।

   (ii) ये, राजपत्र में उनके प्रकाषन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**–पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा और अर्हताएं, आदि.**–उक्त पद की, भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**–वह व्यक्ति–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**–जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवष्यक या समीचीन है, आदेष द्वारा वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्ष करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेष द्वारा षिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**–इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेषों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विषेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	पे मैट्रिक्स लेवल या वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)
सहायक निदेषक (विधि)	03* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 11 (रु.. 67700–208700)

चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और ष्शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति** : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दषा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है – **आवश्यक –** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ शासित प्रदेश या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या विश्वविद्यालय या स्वायत्त या संवैधानिक संगठनों के ऐसे अधिकारी – (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण करते हो; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 (रु. 56,100–1,77,500) वेतनमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् 5 वर्ष सेवा की हो; और

(ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातकोत्तर डिग्री तथा विधि विषय के अध्यापन में 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

वांछनीय :

(1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से दर्शनशास्त्र में स्नातकोत्तर या विधि में डॉक्टरेट डिग्री

टिप्पण 1 : भारतीय पुलिस सेवा से संबंधित अधिकारियों के प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है। जो भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों के भर्ती अवधि नियमों द्वारा शासित होंगे। गैर भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों हेतु, केंद्रीय सरकार में वहीं या कोई अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पहले दूसरे भूतपूर्व काडर के पद पर होने में प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है की अवधि साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु–सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हैं तो उसकी संरचना क्या है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

[फा. सं. 23011/20/2016–पीटी]

अजय कुमार सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 25th October, 2018

G.S.R. 354.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy Assistant Director (Law) Recruitment Rules, 1973, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Director (Law) in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy under the Ministry of Home Affairs, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy Assistant Director (Law) Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix or pay scale.—The number of post, its classification and level in the pay matrix or pay scale attached to the said post shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.– No person,–

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for the reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix or pay scale
(1)	(2)	(3)	(4)
Assistant Director (Law)	3*(2018) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group-A Gazetted, Non-Ministerial.	Level-11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700)

Whether selection or non-selection	Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(5)	(6)	(7)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	By deputation including short term contract

In case of recruitment by promotion or deputation /absorption, grades from which promotion or deputation /absorption to be made

(11)

Deputation (including short term contract):

Essential:

Officers of Central Government or State Government or Union Territory Administration or Public Sector Undertakings or recognised research institutions or Universities or Autonomous or Statutory Organisations–

(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with five years' service in level-10 in the pay matrix (Rs.56100-177500) or equivalent, rendered after appointment thereto on a regular basis in the parent cadre or department; and

(b) possessing a Master's Degree in Law from a recognised University and having three years experience in teaching Law subjects.

Desirable:

1. Master of Philosophy or Doctorate Degree in Law from a recognised University.

Note 1: Period of deputation of officers belonging to Indian Police Service shall be governed by the tenure rules of Indian Police Service officers. For non- Indian Police Service officers, the period of deputation (including short term contract), including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post, held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department in the Central Government shall ordinarily not exceed four years.

Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

[F. No. 23011/20/2016-PT]

AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.